क्रम-संख्या–111(ख–1)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 18 मार्च, 2026

फाल्गुन 27, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

उपभोक्ता मामले अनुभाग–2

संख्या 26 / 84-2–2026-कम्प्यूटर संख्या-1922159

लखनऊ, 18 मार्च, 2026

अधिसूचना

सा०प०नि०–24

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (अधिनियम संख्या 35 सन् 2019) की धारा 102 की उपधारा (1) और धारा 102 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) (घ) (ड) एवं (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद और जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद नियमावली, 2021 का संशोधन किये जाने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थातः–

उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद और जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2026

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद और जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2026 कही जायेगी।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद और जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद नियमावली, 2021, (जिसे आगे ''उक्त नियमावली'' कहा गया है) में, नीचे स्तम्भ–एक में दिए गए नियम 2 के विद्यमान खण्ड (ख) और (ग) के स्थान पर स्तम्भ–दो में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–एक **विद्यमान खण्ड**	स्तम्भ–दो **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड**
(ख) ''राज्य परिषद'' का तात्पर्य राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद से है;	(ख) ''राज्य परिषद'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद से है;
(ग) ''जिला परिषद'' का तात्पर्य जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद से है;	(ग) ''जिला परिषद'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद से है;

नियम 3 का संशोधन

3–उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–एक में दिए गए विद्यमान नियम 3 के स्थान पर स्तम्भ–दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–एक **विद्यमान नियम** **राज्य परिषद का गठन, धारा 6 (2)**	स्तम्भ–दो **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम** **राज्य परिषद का गठन, धारा 6 (2)**
3–(1) राज्य परिषद, एक सलाहकार परिषद होगी जिसमें उनतीस सरकारी सदस्य और बीस गैर सरकारी सदस्य निम्नवत होंगेः– **सरकारी सदस्यः–** (एक) राज्य सरकार के उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप विभाग के प्रभारी मंत्री अध्यक्ष होंगे। (दो) राज्य सरकार के खाद्य तथा रसद विभाग का यथास्थिति, अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव। (तीन) राज्य सरकार के उद्योग विभाग का यथास्थिति, अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव। (चार) राज्य सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का यथास्थिति, अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव। (पाँच) राज्य सरकार के कृषि विभाग का यथास्थिति, अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव। (छः) आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग। (सात) राज्य सरकार के परिवहन विभाग का यथास्थिति, अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव। (आठ) राज्य सरकार का प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी। (नौ) महाप्रबंधक, दूरसंचार। (दस) अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश। (ग्यारह) राज्य सरकार के आवास विभाग का यथास्थिति, अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव। (बारह) सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश। (तेरह) औषधि नियंत्रक, उत्तर प्रदेश।	3–(1) राज्य परिषद, एक सलाहकार परिषद होगी जिसमें सरकारी सदस्य और गैर सरकारी सदस्य निम्नवत होंगेः– **सरकारी सदस्यः–** (एक) राज्य सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग के प्रभारी मंत्री अध्यक्ष होंगे। (दो) राज्य सरकार में उपभोक्ता मामले के प्रभारी राज्य मंत्री (जहां वे स्वतंत्र प्रभार नहीं संभाल रहे हों) या उप मंत्री–उपाध्यक्ष होंगे। (तीन) राज्य सरकार के खाद्य तथा रसद विभाग का यथास्थिति, अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव। (चार) राज्य सरकार के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग का यथास्थिति, अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव। (पाँच) राज्य सरकार के नगर विकास विभाग का यथास्थिति, अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव। (छः) राज्य सरकार के परिवहन विभाग का यथास्थिति, अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव। (सात) राज्य सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का यथास्थिति, अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव। (आठ) राज्य सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग का यथास्थिति, अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव। (नौ) राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग का यथास्थिति, अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव। (दस) आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग। (ग्यारह) नियंत्रक, बॉट माप विभाग। (बारह) सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश। (तेरह) औषधि नियंत्रक, उत्तर प्रदेश।

(चौदह) क्षेत्रीय अधिकारी, भारतीय मानक संगठन, उत्तर प्रदेश।

स्तम्भ—एक **विद्यमान नियम**	स्तम्भ—दो **एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम**
(चौदह) प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, उत्तर प्रदेश। (पन्द्रह) प्रबंध निदेशक, प्रादेशिक सहकारी संघ, उत्तर प्रदेश। (सोलह) राज्य सरकार के राज्यकर विभाग का यथास्थिति, अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव। (सत्रह) प्रबंध निदेशक, राज्य मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश। (अठारह) अधिशासी निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम। (उन्नीस) क्षेत्रीय अधिकारी, भारतीय मानक संगठन, उत्तर प्रदेश। (बीस) राज्य समन्वयक, भारतीय तेल निगम, उत्तर प्रदेश। (इक्कीस) राज्य सरकार के नगर विकास विभाग का यथास्थिति, अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव । (बाईस) सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ। (तेईस) मण्डल प्रबन्धक, उत्तर रेलवे, लखनऊ। (चौबीस) आंचलिक प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम। (पच्चीस) अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। (छब्बीस) राज्य सरकार के सूचना विभाग का यथास्थिति अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव। (सत्ताईस) प्रबंध निदेशक, यूपी डेवलपमेण्ट सिस्टम कारपोरेशन। (अट्ठाईस) नगर निगम लखनऊ के दो अधिकारी जिन्हें अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाए। (उनतीस) ऐसी संख्या में अन्य सरकारी या गैर सरकारी सदस्य, जो दस से अधिक न हों, केन्द्र सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे।	(पन्द्रह) निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश। (सोलह) सचिव, रेरा (रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण)। (सत्रह) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 । (अठ्ठारह) सदस्य सचिव—विशेष सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग। (उन्नीस) ऐसी संख्या में अन्य सरकारी या गैर सरकारी सदस्य, जो दस से अधिक न हों, केन्द्र सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे।
गैर सरकारी सदस्यः— (एक) विधान परिषद के तीन सदस्य और विधान सभा के पाँच सदस्य, अध्यक्ष और सभापति के अनुमोदन से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे। (दो) उपभोक्ता हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले स्वैच्छिक संगठनों/अभिकरणों के चार सदस्य	**गैर सरकारी सदस्यः—** (एक) विधान परिषद के तीन सदस्य और विधान सभा के पाँच सदस्य, अध्यक्ष और सभापति के अनुमोदन से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे। (दो) उपभोक्ता हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले स्वैच्छिक संगठनों/अभिकरणों के प्रतिनिधि, जो छः से अधिक न हो। (तीन) कृषक/सेवा उपक्रमों/फुटकर विक्रेताओं तथा प्रमुख कारबार सम्बंधी

प्रतिनिधि।

(तीन) कृषक/सेवा उपक्रमों/फुटकर विक्रेताओं तथा प्रमुख कारबार सम्बंधी संगठनों यथा—अवध चेंबर ऑफ कामर्स,

संगठनों यथा—अवध चेंबर ऑफ कामर्स,

स्तम्भ—एक **विद्यमान नियम**	स्तम्भ—दो **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
उद्योग व्यापार मण्डल आदि के चार सदस्य प्रतिनिधि। (चार) उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में या किसी महत्वपूर्ण क्षेत्र में कार्यरत प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से चार सदस्य। (2) गैर सरकारी सदस्य, उपभोक्ता हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले स्वैच्छिक संगठनों/अभिकरणों के प्रतिनिधियों, कृषकों/सेवाउपक्रमों/फुटकर विक्रेताओं तथा प्रमुख कारबार सम्बंधी संगठनों के प्रतिनिधियों तथा उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में या समाज के महत्वपूर्णक्षेत्रों में कार्य करने वाले प्रतिष्ठित सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे। उक्त नाम निर्देशन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। (3) उपयुक्तता के आधार पर, उक्त गणमान्य व्यक्तियों का एक पैनल राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा तैयार कर राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त पैनल में विहित संख्या से डेढ़ गुना संख्या होगी ताकि रिक्तियों को प्रतीक्षा सूची से आवश्यकतानुसार भरा जा सके। (4) परिषद में उतनी संख्या में सरकारी या गैर सरकारी सदस्य होंगे जो दस से अधिक न हों, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे।	उद्योग व्यापार मण्डल आदि के प्रतिनिधि, जो छः से अधिक न हो। (चार) उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में या किसी महत्वपूर्ण क्षेत्र में कार्यरत प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से सदस्य, जो छः से अधिक न हो। (2) गैर सरकारी सदस्य, उपभोक्ता हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले स्वैच्छिक संगठनों/अभिकरणों के प्रतिनिधियों, कृषकों/सेवा उपक्रमों/फुटकर विक्रेताओं तथा प्रमुख कारबार सम्बंधी संगठनों के प्रतिनिधियों तथा उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में या समाज के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य करने वाले सदस्य, समय—समय पर राज्य सरकार द्वारा नाम—निर्दिष्ट किये जायेंगे। (3) परिषद में उतनी संख्या में सरकारी या गैर सरकारी सदस्य होंगे जो दस से अधिक न हों, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे।

नियम 6 का संशोधन

4—उक्त नियमावली, में नीचे स्तम्भ एक में दिए गए विद्यमान नियम 6 के स्थान पर स्तम्भ दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:—

स्तम्भ—एक **विद्यमान नियम**	स्तम्भ—दो **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
राज्य परिषद की प्रक्रिया धारा 6(3) एवं 6 (4) 6—राज्य परिषद अपने कारबार के संव्यवहार के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन करेगीः— (क) राज्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, राज्य परिषद, परिषद की उस बैठक की अध्यक्षता करने के लिये अपने किसी सदस्य का चयन करेगी।	**राज्य परिषद की प्रक्रिया धारा 6(3) एवं 6 (4)** 6—राज्य परिषद अपने कारबार के संव्यवहार के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन करेगीः— (क) राज्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा की जायेगी। राज्य परिषद की प्रत्येक बैठक, प्रत्येक सदस्य को नोटिस जारी किये जाने के दिनांक से अन्यून 10 दिनों की अवधि की लिखित नोटिस जारी कर बुलायी जाएगी।

(ख) राज्य परिषद की बैठक का संचालन अध्यक्ष, राज्य आयोग द्वारा किया जायेगा। राज्य परिषद की प्रत्येक बैठक, प्रत्येक सदस्य को नोटिस जारी किये जाने के दिनांक से अन्यून 10 दिनों की अवधि की लिखित नोटिस जारी कर बुलायी जाएगी।	(ख) राज्य परिषद की प्रत्येक नोटिस में, बैठक का स्थान, बैठक का दिनांक और समय विनिर्दिष्ट किया जायेगा और वहां पर किए जाने वाले कारबार सम्बंधी संव्यवहार का विवरण भी दिया जाएगा।

स्तम्भ–एक **विद्यमान नियम**	स्तम्भ–दो **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
(ग) राज्य परिषद की प्रत्येक नोटिस में, बैठक का स्थान, बैठक का दिनांक और समय विनिर्दिष्ट किया जायेगा और वहां पर किए जाने वाले कारबार सम्बंधी संव्यवहार का विवरण भी दिया जाएगा।	(ग) राज्य परिषद की कोई कार्यवाही केवल मात्र इसलिये अविधिमान्य नहीं होगी कि उसमें कोई रिक्ति विद्यमान थी या परिषद के गठन में कोई त्रुटि थी।
(घ) राज्य परिषद की कोई कार्यवाही केवल मात्र इसलिये अविधिमान्य नहीं होगी कि उसमें कोई रिक्ति विद्यमान थी या परिषद के गठन में कोई त्रुटि थी।	(घ) इस अधिनियम के अधीन संपादित किए जाने वाले कृत्यों के प्रयोजनार्थ, राज्य परिषद, जैसा आवश्यक समझे, स्वयं के सदस्यों में से कार्यकारी दल गठित कर सकती है और इस प्रकार गठित कार्यकारी दल ऐसे कृत्य करेगा जैसा कि राज्य परिषद के विचारार्थ उसके समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।
(ङ) अधिनियम के अधीन संपादित किए जाने वाले कृत्यों के प्रयोजनार्थ, राज्य परिषद, जैसा आवश्यक समझे, स्वयं के सदस्यों में से कार्यकारी दल गठित कर सकती है और इस प्रकार गठित कार्यकारी दल ऐसे कृत्य करेगा जैसा कि राज्य परिषद के विचारार्थ उसके समक्षप्रस्तुत किये जायेंगे।	(ङ) बैठकों में बाहर से उपस्थित होने वाले गैर–सरकारी सदस्य, वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–3 तथा वित्त विभाग के सुसंगत आदेशों में विहित दरों पर यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और आनुषंगिक व्यय प्राप्त करने के हकदार होंगे। शेष सदस्यों को यात्रा एवं दैनिक भत्ते उन्हीं दरों पर संदेय होंगे जो ऐसे सदस्यों को अनुज्ञेय होते हों। इसका भुगतान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा किया जायेगा।
(च) गैर सरकारी सदस्य, राज्य परिषद की बैठकों में प्रतिभाग करने हेतु और वापसी के लिये प्रथम श्रेणी का रेल किराया या वायुयान किराया, जो भी कम हो, प्रचलितदर पर प्राप्त करने के हकदार होंगे। विधान सभा/विधान परिषद सदस्यों को यात्रा एवं दैनिक भते उन्हीं दरों पर संदेय होंगे जो ऐसे सदस्यों को अनुज्ञेय होते हों। इसका भुगतान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा किया जायेगा।	(च) राज्य परिषद द्वारा पारित संकल्प सिफारिशी प्रकृति के होंगे।
(छ) राज्य परिषद की बैठकों में प्रतिभाग करने हेतु सदस्यों को कोई मानदेय संदेय नहीं होगा।	
(ज) राज्य परिषद द्वारा पारित संकल्प सिफारिशी प्रकृति के होंगे।	

5–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ एक में दिए गए विद्यमान नियम 7 के स्थान पर स्तम्भ दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः– नियम 7 का संशोधन

स्तम्भ–एक स्तम्भ–दो

विद्यमान नियम

जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन धारा 8 (2)

7—(1) प्रत्येक जिले में एक जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद होगी जो कि एक सलाहकार परिषद होगी जिसमें तेरह सरकारी सदस्य तथा बारह गैर सरकारी सदस्य निम्नवत होंगेः

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन धारा 8 (2)

7—(1)प्रत्येक जिले में एक जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद होगी जो कि एक सलाहकार परिषद होगी जिसमें पन्द्रह सरकारी सदस्य तथा बारह गैर सरकारी सदस्य निम्नवत होंगे, अर्थातः—

स्तम्भ—एक

विद्यमान नियम

सरकारी सदस्य—

(एक) जिले का कलेक्टर, जो उसका अध्यक्ष होगा।

(दो) जिला पूर्ति अधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट (नागरिक आपूर्ति)।

(तीन) मुख्य चिकित्सा अधिकारी।

(चार) जिला औद्योगिक केन्द्र का प्रभारी अधिकारी।

(पाँच) जिला कृषि अधिकारी।

(छः) जिला सूचना अधिकारी।

(सात) उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग का सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी।

(आठ) विकास प्राधिकरण/आवास विभाग का जिला स्तर का अधिकारी।

(नौ) दूरसंचार विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी।

(दस) नगर निगम का नगर आयुक्त/नगर पालिका परिषद का अधिशासी अधिकारी।

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन का जिला स्तरीय अधिकारी।

(बारह) पेट्रोलियम कम्पनियों का पेट्रोलियम अधिकारी/समन्वयक जिला स्तरीय।

(तेरह) अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग।

गैर सरकारी सदस्य—

(एक) उपभोक्ता हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले स्वैच्छिक संगठनों/अभिकरणों के प्रतिनिधियों में से चार सदस्य।

(दो) कृषकों/ सेवा उपक्रमों/ विनिर्माताओं/फुटकर विक्रेताओं/ प्रमुख कारबार सम्बंधी संगठनों के प्रतिनिधियों में से चार सदस्य।

स्तम्भ—दो

एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम

सरकारी सदस्य—

(एक) जिला का कलेक्टर, जो उसका अध्यक्ष होगा।

(दो) अपर जिला मजिस्ट्रेट (नागरिक आपूर्ति)/ए0डी0एम0सिटी।

(तीन) जिला पूर्ति अधिकारी—सदस्य सचिव।

(चार) मुख्य चिकित्सा अधिकारी।

(पाँच) जिला औद्योगिक केन्द्र का प्रभारी अधिकारी।

(छः) जिला कृषि अधिकारी।

(सात) जिला सूचना अधिकारी।

(आठ) उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग का सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी।

(नौ) उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण/ विनियमित क्षेत्र का सचिव।

(दस) जिला विद्यालय निरीक्षक/बेसिक शिक्षा अधिकारी।

(ग्यारह) दूरसंचार विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी।

(बारह) नगर निगम का नगर आयुक्त/नगर पालिका परिषद का अधिशासी अधिकारी।

(तेरह) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन का जिला स्तरीय अधिकारी।

(चौदह) पेट्रोलियम कम्पनियों का जिला स्तरीय अधिकारी/समन्वयक।

(पन्द्रह) भारतीय चिकित्सा संघ (आई0एम0ए0) का प्रतिनिधि।

गैर सरकारी सदस्य—

(एक) उपभोक्ता हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले स्वैच्छिक संगठनों/ अभिकरणों के प्रतिनिधियों में से चार सदस्य।

(दो) कृषकों/सेवा उपक्रमों/ विनिर्माताओं/ फुटकर विक्रेताओं/ प्रमुख कारबार सम्बंधी संगठनों के प्रतिनिधियों में से चार सदस्य।

(तीन) उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में या समाज के महत्वपूर्ण क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से चार सदस्य। (2) बारह गैर सरकारी सदस्यों का नाम निर्देशन जिला अधिकारी द्वारा किया जायेगा।	(तीन) उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में या समाज के महत्वपूर्ण क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से चार सदस्य। (2) बारह गैर सरकारी सदस्यों का नाम निर्देशन जिला अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

6–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–एक में दिए गए विद्यमान नियम 10 के खण्ड (ख) के स्थान पर स्तम्भ–दो में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थातः– नियम 10 का संशोधन

स्तम्भ–एक **विद्यमान खण्ड** **जिला परिषद की प्रक्रिया धारा 8 (3) एवं (4)**	स्तम्भ–दो **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड** **जिला परिषद की प्रक्रिया धारा 8 (3) एवं (4)**
10–(ख) जिला परिषद की बैठक का संचालन अध्यक्ष, जिला आयोग द्वारा किया जायेगा। जिला परिषद की प्रत्येक बैठक, प्रत्येक सदस्य को नोटिस जारी किये जाने के दिनांक से प्रत्येक सदस्य को अन्यून दस दिन की लिखित नोटिस देकर आहूत की जायेगी।	10–(ख) जिला परिषद की प्रत्येक बैठक, प्रत्येक सदस्य को नोटिस जारी किये जाने के दिनांक से अन्यून दस दिन की लिखित नोटिस देकर आहूत की जायेगी।

आज्ञा से,
रणवीर प्रसाद,
प्रमुख सचिव।

———————

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 26/LXXXIV-2–2026-C.N.-1922159, dated March 18, 2026:

No. 26/LXXXIV-2–2026-C.N.-1922159

Dated Lucknow, March 18, 2026

IN exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 102 and clauses (c), (d), (e) and (f) of sub-section (2) of Section 102 of the Consumer Protection Act, 2019 (Act no. 35 of 2019) *read* with Section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh State Consumer Protection Council and District Consumer Protection Council Rules, 2021, namely:-

THE UTTAR PRADESH STATE CONSUMER PROTECTION COUNCIL AND DISTRICT CONSUMER PROTECTION COUNCIL RULES (FIRST AMENDMENT), RULES, 2026

Short title and commencement

1.(1) These rules may be called the Uttar Pradesh State Consumer Protection Council and District Consumer Protection Council Rules, (First Amendment), Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official *Gazette*.

Amendment of Rule 2

2. In the Uttar Pradesh State Consumer Protection Council and District Consumer Protection Council Rules, 2021 (hereinafter referred to as the "said rules"), *for* existing clauses (b) and (c) of Rule 2 set out in Column-I below, the clause as set out in Column-II shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-I *Existing clauses*	COLUMN-II *Clauses as hereby substituted*
b. "State Council" means the State Consumer Protection Council;	(b) "State Council" means the State Consumer Protection Council established under sub-section (1) of Section 6 of the Act;
c. "District Council" means the District Consumer Protection Council,	(c) "District Council" means the District Consumer Protection Council established under sub-section (2) of Section 8 of the Act;

Amendment of Rule 3

3. In the said rules, *for* existing Rule 3 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-I *Existing Rule*	COLUMN-II *Rule as hereby substituted*
Constitution of State Council, Section 6(2)	**Constitution of State Council, Section 6 (2)**
3. (1) The State Council shall be an Advisory Council consisting of twenty-nine official members and twenty non-official members, as given below:-	3. (1) The State Council shall be an advisory council consisting of official members and non-official members, as given below:-
Official Members-	**Official Members-**
(i) The Minister in charge of Consumer Protection and Weight and Measurement Department in the State Government will be the Chairperson.	(i) The Minister in charge of Consumer Affairs Department of the State Government will be the Chairperson.
(ii) Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary, as the case may be, to the State Government in Food and Civil Supplies Department.	(ii) The Minister of State (where he is not holding independent charges) or the Deputy Minister in charge of Consumer Affairs Department in the State Government will be the Vice-Chairperson;
(iii) Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary, as the case may be, to the State Government in Industries Department.	(iii) Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary, as the case may be, to the State .Government in Food and Civil Supplies Department.
(iv) v. Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary, as the case may be, to the State Government in Medical and Health Department.	(iv) Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary, as the case may be, to the State Government in Housing and Urban Planning Department.
(v) Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary, as the case may be, to the State Government in Agriculture Department.	(V) Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary, as the case may be, to the State Government in Urban Development Department.
(vi) Commissioner, Food and Civil Supplies Department.	(vi) Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary, as the case may be, to the State Government in Transport Department.
(vii) Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary, as the case may be, to the State Government in Transport Department.	(vii) Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary, as the case may be, to the State Government in Medical and Health Department.
(viii) Principal Secretary, Judicial and Legal Remembrancer to the State Government.	(viii) Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary, as the case may be, to the State Government in Medical Education Department.
(ix)General Manager, Telecommunication.	(ix) Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary, as the case may be, to the State Government in Energy Department.
(x) Chairman, State Consumer Disputes Redressal Commission, Uttar	(x) Commissioner, Food and

Pradesh.	Logistics Department.
(xi) Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary, as the case may be, to the State Government in Avas Vibhag	(xi) Controller of Legal Metrology Department.
(xii) Director of Information, Uttar Pradesh.	(xii) Director of Information, Uttar Pradesh.
(xiii) Drug Controller, Uttar Pradesh.	(xiii) Drug Controller, Uttar Pradesh.

COLUMN-I ***Existing rule***	COLUMN-II ***Rules as hereby substituted***
(Xiv) Managing Director, Uttar Pradesh Food and Essential Commodities Corporation, Uttar Pradesh.	(xiv) Regional Officer, Indian Standards Organization, Uttar Pradesh.
(xv) Managing Director, Provincial Cooperative Federation, Uttar Pradesh.	(xv) Registrar, State Consumer Disputes Redressal Commission, Uttar Pradesh.
(xvi) Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary, as the case may be, to the State Government in Institutional Finance Department.	(xvi) Secretary, RERA(Real Estate Regulatory Authority).
(xvii) Managing Director, Rajya Mandi Parishad, Uttar Pradesh.	(xvii) Managing Director, Uttar Pradesh Power Corporation Ltd.
(xviii) Executive Director, Uttar Pradesh Employees Welfare Corporation.	(xviii) Member Secretary - Special Secretary, Department of Consumer Affairs.
(xix) Regional Officer, Indian Standard Organisation, Uttar Pradesh.	(xix) Such number of other official or non-official members, not exceeding ten, as may be nominated by the Central Government.
(xx) State Co-Ordinator, Indian Oil Corporation Uttar Pradesh.	
(xxi) Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary, as the case may be, to the State Government in Nagar Vikas Vibhag, Uttar Pradesh.	
(xxii) Secretary, Uttar Pradesh State Electricity Board, Lucknow.	
(xxiii) Divisional Manager, Northern Railway, Lucknow.	
(xxiv) Anchalik Prabandhak Life Insurance Corporation.	
(xxv) Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary, Cooperative Department Uttar Pradesh Shasan.	
(xxvi) Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary, as the case may be, to the Government in the Information Department.	
(xxvii) Managing Director, Uttar Pradesh Development System Corporation.	
(xxviii) Two officers from Nagar Nigam, Lucknow to be nominated by the Chairperson.	
(xxix) Such number of other official or non official Members, not exceeding ten as may be nominated by the Central Government.	
Non-Official Members-	**Non-official Members-**
(i) Three members of the Legislative Council and five members of the Legislative Assembly will be nominated by the State Government with the approval of	(i) Three members of the Legislative Council and five members of the Legislative Assembly, will be nominated by the State Government with the

the Speaker/Chairman. (ii) Four member representatives of voluntary organizations/ agencies representing consumer interests. (iii) Four member representatives of farmers/service undertakings/retailers and major business organizations like Avadh Chamber of Commerce, Udyog Vyapar Mandal, *etc.*	approval of the Speaker/Chairman. (ii) Representatives of voluntary organizations/agencies representing consumer interests, not exceeding six in number. (iii) Representatives of farmers/service undertakings/retailers and major business organizations such as the Awadh Chamber of Commerce, Udyog Vyapar Mandal, *etc*., not exceeding six in number.

COLUMN-I ***Existing rule***	COLUMN-II ***Rules as hereby substituted***
(iv) Four members from amongst eminent persons working in the field of consumer protection or in an important area of the society.	(iv) Members from amongst eminent persons working in the field of consumer protection or in any important field, not exceeding six in number.
(2) Non-Official Members shall be nominated from the representatives of voluntary organizations/ agencies representing the interests of consumers, farmers/service undertakings/ retailers and representatives of major business organizations and eminent members working in the field of consumer protection or in important areas of the society. The said nomination will be done by the State Government.	**(2)** Non-official members, including representatives of voluntary organizations/agencies representing consumer interests, representatives of farmers/service undertakings/retailers, and major business organizations, and members working in the field of consumer protection or in important sectors of society, will be nominated from time to time by the State Government.
(3) On the basis of suitability, a panel of the said dignitaries will be prepared by the State Consumer Disputes Redressal Commission and be made available to the State Government. It will be ensured by the State Consumer Disputes Redressal Commission that there will be one and a half times the prescribed number in the said panel so that the vacancies can be filled from the waiting list as per need.	(3) The Council will consist of such number of official and non-official members, not exceeding ten, as may be nominated by the Central Government.
(4) The Council may consist of such number of official or non-official members, not exceeding ten, as may be nominated by the Central Government.	

Amendment of rule 6

4. In the said rules, *for* existing rule 6 set out in column-I below, the rule as set out in column-II shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-I ***Existing rule***	COLUMN-II ***Rules as hereby substituted***
Procedure of State Council Section 6 (3) and 6 (4)	**Procedure of State Council Section 6 (3) and 6 (4)**
6. The State Council shall observe the following procedure in relation to the transaction of its business:- (a) The meeting of the State Council shall be presided over by the Chairperson. In the absence of the Chairperson, the State Council shall	6. The State Council shall observe the following procedure in relation to the transaction of its business:- (a) The meeting of the State Council shall be presided over by the Chairperson. Every meeting of the State Council shall be convened by issuing a

choose one of its members to preside over that meeting of the Council. (b) The meeting of the State Council will be conducted by the Chairman, State Commission. Every meeting of the State Council shall be convened by issuing a written notice to each member for a period of not less than ten days from the date of issue of the notice. (c) Every notice of the State Council shall specify the place of meeting, the day and time of the meeting and shall also give a description of the business transacted therein.	written notice to each member for a period of not less than ten days from the date of issue of the notice. (b)Every notice of the State Council shall specify the place of meeting, the day and time of the meeting and shall also give a description of the business transacted therein. (c)No proceeding of the State Council shall be invalid merely by reason of existence of any vacancy therein or any defect in the constitution of the Council.

COLUMN-I *Existing rule*	COLUMN-II *Rules as hereby substituted*
(d) No proceeding of the State Council shall be invalid merely by reason of existence of any vacancy therein or any defect in the Constitution of the Council.	(d)For the purposes of performing the functions under this Act, the State Council may constitute a working group from amongst its members as it deems necessary and the working group so constituted shall perform such functions as may be placed before it for consideration of the State Council.
(e) For the purposes of performing the functions under the Act, the State Council may constitute a working group from amongst its members as it deems necessary and the working group so constituted shall perform such functions as may be placed before it for the consideration of the State Council.	(e)The Non-official members attending meetings from outside will be entitled to travel allowance/daily allowance and incidental expenses at the rates prescribed in the Financial Handbook Volume-3 and relevant orders of the Finance Department. Travelling and daily allowances will be payable to the remaining members at such rates as are admissible to such members. It will be paid by the State Consumer Disputes Redressal Commission.
(f) The non-official members shall be entitled to receive first class rail fare or air fare, whichever is less, at the prevailing rate in connection with journeys undertaken to and from for the purpose of attending the meetings of the State Council. Traveling and daily allowances will be payable to the members of the Legislative Assembly/Legislative Council at such rates as are admissible to such members. It will be paid by the State Consumer Disputes Redressal Commission.	(f) The resolutions passed by the State Council shall be recommendatory in nature.
(g) No honorarium shall be payable to the members for attending the meetings of the State Council.	
(h) The resolutions passed by the State Council shall be of a recommendatory nature.	

5. In the said rules, for existing rule 7 set out in column- I below, the rule as set out in column-II shall be *substituted*, namely:- Amendment of rule 7

COLUMN-I *Existing rule*	COLUMN-II *Rules as hereby substituted*
Constitution of District Consumer Protection Council Section 8 (2)	**Constitution of District Consumer Protection Council Section 8 (2)**
7. (1) There shall be a District Consumer Protection Council in each district which will be an advisory council	**7. (1)**There shall be a District Consumer Protection Council in each district which will be an advisory council

consisting of thirteen official and twelve non-official members, namely:-	consisting of fifteen official members and twelve non-official members, namely:
Official Members:-	**Official Members -**
(i) Collector of the district who shall be its Chairperson.	(i) The Collector of the District, who shall be its Chairman.
(ii) District Supply Officer/Additional District Magistrate (Civil Supply).	(ii) Additional District Magistrate (Civil Supplies)/ADM CITY
(iii) Chief Medical Officer.	(iii) District Supply Officer - Member Secretary.
(iv) Officer in charge of District Industrial Centre.	(iv) Chief Medical Officer.
(v) District Agriculture Officer.	(v) Officer-in-Charge of the District Industrial Center.
(vi) District Information Officer.	(vi) District Agriculture Officer.
(vii) Assistant Regional Transport Officer of Transport Department of Uttar Pradesh.	(vii) District Information Officer.

<u>COLUMN-I</u> ***Existing rule***	<u>COLUMN-II</u> ***Rules as hereby substituted***
(viii) District Level Officer of Development Authority/Housing Department.	(viii) Assistant Divisional Transport Officer of the Uttar Pradesh Transport Department.
(ix) District Officer of Telecom Department.	(ix) Vice-Chairman Development Authority/Secretary of the Regulated Area.
(x) Nagar Ayukt of Nagar Nigam/Executive Officer of Nagar Palika Parishad.	(x) District School Inspector/Basic Education Officer.
(xi) District Level Officer of Uttar Pradesh Power Corporation.	(xi) District-level Officer of the Telecommunications Department.
(xii) District Level Officer/ Co-ordinator of Petroleum Companies.	(xii) Municipal Commissioner of the Municipal Corporation/Executive Officer of the Municipal Council.
(xiii) Chairman, District Consumer Disputes Redressal Commission.	(xiii) District-level Officer of the Uttar Pradesh Power Corporation.
	(xiv) District-level Officer/Coordinator of Petroleum Companies.
	(xv) Representative of the Indian Medical Association.
Non-Official Members:-	**Non-official Members -**
(i) Four members from representatives of voluntary organizations/agencies representing consumer interests.	(i) Four members from representatives of voluntary organizations/agencies representing consumer interests.
(ii) Four members from representatives of farmers/ service undertakings/manufacturers/retailers/ major business organizations.	(ii) Four members from representatives of farmers/service undertakings/manufacturers/retailers/major business organizations.
(iii) Four members from eminent persons working in the field of consumer protection or in important areas of the society.	(iii) Four members from eminent persons working in the field of consumer protection or in important sectors of society.
(2) Nomination of twelve non-official members will be done by the District Collector.	(2) Nomination of twelve non-official members will be done by the District Collector.

Amendment of rule 10

6. In the said rules, *for* existing clauses (b) of rule 10 set out in column-I below, the clause as set out in column-II shall be *substituted*, namely:-

<u>COLUMN-I</u> ***Existing Clauses***	<u>COLUMN-II</u> ***Clauses as hereby substituted***
Procedure of the District Council Section 8 (3) and (4)	**Procedure of the District Council Section 8 (3) and (4*)***
(b) The meeting of the District Council will be conducted by the Chairperson, District Commission. Every	(b) Every meeting of the District Council shall be called by giving a written notice of not less than ten days to

meeting of the District Council shall be called by giving a written notice of not less than ten days to every member from the date of its issue.

every member from the date of issue

By order,
RANVIR PRASAD,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 490 राजपत्र–2026–(1413)–599 प्रतियां (डी0टी0पी0/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी०–ए0पी0 1 सा0 उपभोक्ता मामले–2026–(1414)–900 प्रतियां (डी0टी0पी0/ऑफसेट)।